

Section 18 : Availability of credit in Special circumstances

- (1) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed –
- (a) a person who has applied for registration under this Act within thirty days from the date on which he becomes liable to registration and has been granted such registration shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provisions of this Act;
 - (b) a person who takes registration under sub-section (3) of section 25 shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date of grant of registration;
 - (c) where any registered person ceases to pay tax under section 10, he shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 9:
Provided that the credit on capital goods shall be reduced by such percentage points as may be prescribed;
 - (d) where an exempt supply of goods or services or both by a registered person becomes a taxable supply, such person shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock relating to such exempt supply and on capital goods exclusively used for such exempt supply on the day immediately preceding the date from which such supply becomes taxable:
Provided that the credit on capital goods shall be reduced by such percentage points as may be prescribed.
- (2) A registered person shall not be entitled to take input tax credit under sub-section (1) in respect of any supply of goods or services or both to him after the expiry of one year from the date of issue of tax invoice relating to such supply.
- (3) Where there is a change in the constitution of a registered person on account of sale, merger, demerger, amalgamation, lease or transfer of the business with the specific provisions for transfer of liabilities, the said registered person shall be allowed to transfer the input tax credit which remains unutilised in his electronic credit ledger to such sold, merged, demerged, amalgamated, leased or transferred business in such manner as may be prescribed.
- (4) Where any registered person who has availed of input tax credit opts to pay tax under section 10 or, where the goods or services or both supplied by him become wholly exempt, he shall pay an amount, by way of debit in the electronic credit ledger or electronic cash ledger, equivalent to the credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in

Central Goods & Services Tax Act, 2017

semi-finished or finished goods held in stock and on capital goods, reduced by such percentage points as may be prescribed, on the day immediately preceding the date of exercising of such option or, as the case may be, the date of such exemption:

Provided that after payment of such amount, the balance of input tax credit, if any, lying in his electronic credit ledger shall lapse.

- (5) The amount of credit under sub-section (1) and the amount payable under sub-section (4) shall be calculated in such manner as may be prescribed.
- (6) In case of supply of capital goods or plant and machinery, on which input tax credit has been taken, the registered person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and machinery reduced by such percentage points as may be prescribed or the tax on the transaction value of such capital goods or plant and machinery determined under section 15, whichever is higher:

Provided that where refractory bricks, moulds and dies, jigs and fixtures are supplied as scrap, the taxable person may pay tax on the transaction value of such goods determined under section 15.

धारा 18 : विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता

(1) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं—

- (क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो गया है और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर दिया गया है, स्टॉक में धारित इनपुटों और उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक में धारित, अर्ध-परिसज्जित या परिसज्जित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा;
- (ख) कोई व्यक्ति, जो धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है, स्टॉक में धारित इनपुटों और रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक में धारित अर्ध-परिसज्जित या परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में इनपुट प्रत्यय लेने का हकदार होगा;
- (ग) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना बंद कर देता है, वहां वह उस तारीख से, जिससे वह धारा 9 के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक में धारित इनपुटों, स्टॉक में धारित अर्ध परिसज्जित या परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा:
- परन्तु** पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिन्दु द्वारा कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए;
- (घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की छूट-प्राप्त पूर्ति कराधेय पूर्ति हो गई है, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी छूट-प्राप्त पूर्ति से संबंधित स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध परिसज्जित या परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में और उस तारीख से, जिसको ऐसी पूर्ति कराधेय हुई है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसी छूट प्राप्त पूर्ति के लिए अनन्य रूप से प्रयुक्त पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परन्तु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिन्दु द्वारा कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए।

- (2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी पूर्ति से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे की गई माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
- (3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्वों के अंतरण में विनिर्दिष्ट उपबंधों के साथ कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण करने की अनुज्ञा दी जाएगी, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिए गए या अंतरित कारबार के उसके इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में अनुपयोजित है।
- (4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया है, धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है या जहां उसके द्वारा की गई माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति को पूर्ण रूप से छूट-प्राप्त हो गई है, वहां वह इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टॉक में धारित अर्ध-परिसज्जित या परिसज्जित माल के रूप में अंतर्विष्ट इनपुटों के

संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है जिसमें से, यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे प्रतिशतता बिन्दु को, जो विहित किया जाए, कम किया गया है :

परन्तु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।

- (5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यय की रकम और उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए।
- (6) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी की पूर्ति की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्रतिशतता बिन्दु को घटाकर, जो विहित किया जाए, उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का या धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परन्तु जहां स्क्रेप के रूप में रिफ़ैक्टरी ईंटों, सांचों और डाई, जिग्स और फिक्सचरों की पूर्ति की जाती है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा।